मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 22 / 2025

सरोज पत्नी श्री संतोष कुमार जाति बिश्नोई साकिन 10 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. शेलेन्द्र पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन 10 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

दिनांक :– 19/3/25

वादी की ओर से श्री इन्द्र जीत पाल सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ओर से श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

1. वादी सरोज को प्राप्त भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक नं. 8 एल.जी.डब्ल्यू. बी. के खाता सं. 168/31 के प. नं. 15/284 (12) के किला नं. 13, 18, 19, 20, 21/3 की 1.096 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है।

2. प्रतिवादी सं. 1 शेलेन्द्र को प्राप्त भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक नं. 8 एल.जी.डब्ल्यू. बी. के खाता सं. 168/31 के प. नं. 20/290 (67) के किला नं. 2/2, 3/2, 8/2, 9/2, 12/2, 13 की 0.894 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/3/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:04:27 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा